निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 67/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मेवाराम पुत्र स्व. श्री पोखरराम, जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवास खुर्द, तहसील आमेर, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
2. कालूराम पुत्र सुखाराम, जाति जाट, निवासी महेशवास खुर्द, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

3. प्रभू पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी महेशवास खुर्द, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. अनिता धर्मपत्नी श्री हीरालाल, जाति जाट, निवासी महेशवास खुर्द, तहसील आमेर, जयपुर।
7. मोहनलाल पुत्र श्री कल्याण सहाय पौत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी महेशवास खुर्द, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. बाबूलाल पुत्र रामेश्वरलाल
9. सेवाराम पुत्र पोखरराम
10. नारायणलाल पुत्र पोखरराम
11. बंशीधर पुत्र पोखरराम

समस्त जाति जाट, निवासी महेशवास खुर्द, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रारूपिक अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 333/2024 ब–उनवानी मेवाराम बनाम कालूराम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री रामप्रसाद कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हिमांशु सोगानी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 333/2024 ब–उनवानी मेवाराम बनाम कालूराम दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई । अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु सोगानी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने के पश्चात नियमानुसार प्रतिवादीगण का नोटिस जारी किये गये और विधिवत रूप से तामील होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 3 व 4 सपठित धारा–151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत की गई जिसका जवाब वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.10.2024 को बहस सुनने के पश्चात आदेश हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.10.2024 नियत की गई और दिनांक 29.10.2024 को निर्णय पारित नहीं किया गया और आगामी तारीख पेशी 05.11.2024 नियत की गई। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली की आदेशिका प्राप्त करने बाबत नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया परन्तु दिनांक 30.10.2024 को उपखण्ड अधिकारी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर ना करके रीडर द्वारा प्रार्थी को यह कहा गया कि आपको नकल जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवा दी जायेगी। जिस पर दिनांक 04.11.2024 सोमवार को प्रार्थी स्वयं सीनियर सिटीजन है जो उपस्थित रहा, परन्तु पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली की आदेशिका को नहीं देकर केवल मात्र टालमटोल किया जा रहा है और यह जाहिर किया कि मेरे द्वारा अंकित फैसला करने आपको नकल दिनांक 06.11.2024 को उपलब्ध करवा दी जायेगी। इस दौरान अप्रार्थी कालूराम के पौत्र चरण सिंह और उपखण्ड अधिकारी चैम्बर में जाकर बैठ गये और प्रार्थी को न्यायालय की गैलरी के बाहर निकलते समय यह कहा गया कि मैने तो फैसला करवा लिया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा है कि उक्त वाद पत्र का विचारण यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है तो प्रतिवादीगण व पीठासीन अधिकारी की आपसी सांठ–गांठ व मिली भगत के आधार पर प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की संभावना शेष नहीं रही है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जा रहीं है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner